फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

इण्डियाबुल्स हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड, रजिस्टर्ड पता एम– 62 – 63 फर्स्ट फलोर कनोट प्लेस, नई दिल्ली– 110001 जरिये अधिकृत प्रतिनिधि **– प्रार्थी**

बनाम

1. अशोक कुमार जैन प्रोपराईटर नीलम मार्बल,
2. विमला अशोक कुमार जैन,
   निवासी प्लाट नम्बर 34, दयाल शाह किला रोड, नियर शिव मंदिर, किशोर नगर राजसमन्द व प्लाट नम्बर 2 हल्का आबादी, नियर जैन भोजनालय, गायत्री मार्ग, किशोर नगर, गायत्री मंदिर रोड, नगर पालिका एरिया राजसमन्द
3. अशोक कुमान जैन प्रोपराईटर नीलम मार्बल निवासी – C/o मून लाईट मार्बल बार्ददा राजसमन्द।
4. अशोक कुमान जैन पुत्र श्री भंवरलाल जैन निवासीग्राम झांझर जिला राजसमन्द।

–अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 37/2020**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 24.11.2020 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी इण्डियाबुल्स हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड नई दिल्ली ने दिनांकः 22.10.2020 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण अनुबंध संख्या HLAPUDA 0282000 दिनांकित 19/07/2016 के जरिये प्रार्थी कम्पनी से कुल 2510685/–रुपए की वित्तिय सुविधा प्राप्त की थी। उपरोक्त ऋण की सिक्योरिटी पेटे अप्रार्थीगण द्वारा प्लाट नम्बर 2 हल्का आबादी, नियर जैन भोजनालय, गायत्री मार्ग, किशोरनगर, गायत्री मंदिर रोड, नगरपालिका एरिया राजसमंद पर स्थित सम्पति को प्रार्थी कम्पनी के यहां मोरगेज किया था। अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त वित्तीय सुविधा का ऋण अनुबंध पत्र में वर्णित शर्तो के अनुसार भुगतान नहीं किया गया तथा अप्रार्थीगण द्वारा अपनी किश्तों का नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण के उपरोक्त वर्णित खाते दिनांक 7/2/2020 को विधिनुसार एनपीए घोषित कर दिया गया।	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त खाते को एनपीए घोषित करने के उपरांत विधिनुसार अप्रार्थीगण को सिक्योरिटाइजेशन एक्ट की धारा 13 (2) के अंतर्गत नोटिस दिनांकित 10/02/2020 को प्रेषित कर अप्रार्थीगण से दिनांक 07/02/2020 तक कुल बकाया राशि 1296678/–रुपये व भुगतान की तिथि तक की अतिरिक्त बकाया राशि मय ब्याज की माग की गई तथा उक्त राशि को नोटिस प्राप्ति के 60 दिवस के अंदर भुगतान करने हेतु कहा। इस प्रकार अप्रार्थीगण को उक्त नोटिस की तामिल हो गई तथा तामिल के उपरांत भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा सिक्योरिटाईजेशन एक्ट के अनुसार समस्त कार्यवाहीं विधिनुसार की गई तथा उसके उपरांत भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया इसलिए प्रार्थी कम्पनी अप्रार्थीगण की प्लाट नम्बर 2 हल्का आबादी, नियर जैन भोजनालय, गायत्री मार्ग, किशोरनगर, गायत्री मंदिर रोड, नगरपालिका एरिया राजसमंद का भौतिक कब्जा प्राप्त करने की अधिकारिणी है ताकि कम्पनी उक्त सम्पति को विधिनुसार नीलाम करके अपनी ऋण राशि को वसूल कर सके।

मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 04.10.2016 सिविल रिट पिटिशन नं0 6256/2016 कि धारा 14 के प्रावधानों के तहत यह आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर जारी किया जा सकता हैं विपक्षी को उक्त मामले में सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं हैं।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 10.02.2020 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे एवं अखबार की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी इण्डियाबुल्स हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बन्धक सम्पत्ति का विवरण :– प्लाट नम्बर 2 हल्का आबादी, नियर जैन भोजनालय, गायत्री मार्ग, किशोरनगर, गायत्री मंदिर रोड, नगरपालिका एरिया राजसमंद(राज.) में स्थित सम्पत्ति के पडौस :– पूर्व में प्लाट नं. 01, पश्चिम में प्लाट नं. 03, उत्तर में नगर पालिका की रिर्जव भुमि, दक्षिण में 30 फिट रोड ।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी इण्डियाबुल्स हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड नई दिल्ली के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी इण्डियाबुल्स हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड नई दिल्ली को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)